भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
10.12.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1725 का उत्तर

बिलासपुर-मनाली-लेह रेलवे लाइन की डीपीआर

1725. श्री मोहम्मद हनीफ़ा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिलासपुर-मनाली-लेह रेलवे लाइन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है और उसे मंजूरी दे दी गई है;
(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की मुख्य विशेषताएं और अनुमानित लागत कितनी है;
(ग) क्या सरकार ने निर्माण कार्य शुरू करने और उसके पूरा होने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी चरण-वार और खंड-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय संपर्क और लद्दाख में सीमावर्ती क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए इसके महत्व को देखते हुए इस परियोजना में तेज़ी लाने का विचार है और यदि हाँ, तो इस संबंध में किए जा रहे उपायों सहित इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): बिलासपुर - मनाली - लेह नई लाइन को रक्षा मंत्रालय द्वारा रणनीतिक लाइन के रूप में चिह्नित किया गया है। सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। यह परियोजना हिमालय के दुर्गम भू-भाग से होकर गुज़रती है, जो भूवैज्ञानिक आश्चर्यों और अनेक समस्याओं से पूर्ण है। परियोजना की कुल लंबाई 489 किलोमीटर है, जिसमें 270 किलोमीटर लंबी सुरंगें शामिल हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत 1,31,000 करोड़ रु. है।

यह संरेखण बेरी, सुंदरनगर, मंडी, मनाली, सिस्सू, दारचा, कीलोंग, सरचू, पांग, रुमत्से, उप्शी, खारू से होकर गुजरता है और लेह टर्मिनस पर समाप्त होता है, जो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है।

परियोजना की मंजूरी के लिए राज्य सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श और वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय आदि का आवश्यक अनुमोदन अपेक्षित होता है। चूंकि परियोजनाओं की मंजूरी सतत और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए सटीक समय-सीमा विभिन्न हितधारकों द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन पर निर्भर करती है।

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण**
- **वन संबंधी स्वीकृति**
- **अतिलंघी उपयोगिताओं का स्थानांतरण**
- **विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां**
- **क्षेत्र की भू-विज्ञानी और स्थलाकृतिक स्थितियाँ**
- **परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति**
- **किसी विशेष परियोजना स्थल आदि के लिए एक वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या।**

ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के पूरा होने के समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

*****